

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1942 (श0)

(सं० पटना 504) पटना, सोमवार, 24 अगस्त 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त 2020

एस0ओ0 159 दिनांक 24 अगस्त 2020— बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्या 879 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में प्रकाशित वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 177 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 (समय—समय पर यथासंशोधित) में और भी निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, यथा—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (ii) के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या रखा जाएगा।

''(ii) राज्य कर अपर आयुक्त या राज्य कर संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यथास्थिति, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये, ''राज्य कर अपर आयुक्त या राज्य कर संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो'' पद से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित वरीयतम राज्य कर अपर आयुक्त या राज्य कर संयुक्त आयुक्त अभिप्रेत है।''

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जी०एस०टी० / विविध—20 / 2017 (खंड—9)—1472)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

24 अगस्त 2020

एस0ओ0 159 दिनांक 24 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/ूजी०एस०टी० / विविध—20 / 2017 (खंड—9)—1472)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 24th August 2020

S.O. 159 dated the 24th August 2020— In exercise of the powers conferred by Subrule (2) of Rule 123 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the notification of the Commercial Taxes Department, S.O. No. 177, dated the 21st September, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 879, dated the 21st September, 2017 (as amended from time to time) is further amended, namely:-

In the said notification for serial no. (ii), the following serial no. shall be substituted, " (ii) Additional Commissioner of State Tax or Joint Commissioner of State Tax, Central Investigation Bureau, as the case may be, Commercial Taxes Department, Bihar, Patna

For the purposes of this notification, the expression "Additional Commissioner of State Tax or Joint Commissioner of State Tax, Central Investigation Bureau" means the senior most Additional Commissioner of State Tax or Joint Commissioner of State Tax posted in Central Investigation Bureau, Commercial Taxes Department, Bihar, Patna."

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20 /2017 (Part-9)--1472)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 504-571+10-डी०टी०पी०। Website: http://egazette.bih.nic.in